# फर्द अहकाम

पाजोड़ बनाम छीतरमल

नाम न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर

केस संख्या 101/18

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | | श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित की / जाती है। | |
| | 24/11/22 Notedh Geeta Kanwar | पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं. 10 ता 12 की तलबी की डिलीवरी रिपोर्ट, पूर्व में प्रस्तुत किए गए छपा है जो शामिल फाईल है। वादी/अधिवक्ता द्वारा 022 R4 प्रस्तुत करने हेतु समय-याचना। अन्तिम अवसर चाहा गया। अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 1/2/23 को पेश हो। | |
| | 1/2/23 | पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी एवं अधिवक्ता अनुपस्थित रूक-रूक कर बार-बार वादी एवं प्रतिवादी को आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया।<br>अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति के कारण वादी का वाद आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत खारीज किया जाता है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। | |